उ0प्र0 लघु उद्योग निगम लि0,
110,औद्योगिक आस्थान, फजलगंज,
कानपुर

ई–निविदा सूचना

ई–निविदा सूचना तिथिः 14.09.2019 ई–निविदा खुलने की तिथिः 30.09.2019
निविदा मूल्य रू0 25,000.00(जी0एस0टी0 सहित) धरोहर धनराशि रू0 50.00लाख

उ0प्र0 लघु उद्योग निगम को सूक्ष्म,लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग, उ0प्र0शासन द्वारा सूक्ष्म,लघु एवं मध्यम उद्यमियों को औद्योगिक कोल की आपूर्ति हेतु प्रदेश को आवंटित मात्रा का, जो कि अद्यतन 40 प्रतिशत(4.56टन) कोयले की आपूर्ति हेतु नोडल एजेन्सी नामित किया गया है। इकाइयों को कोयले की आपूर्ति हेतु निगम द्वारा कोल समन्वयक की नियुक्ति किये जाने हेतु ई–निविदायें आमंत्रित की जाती हैं। ई–निविदा प्रपत्र दिनांक 14.09.2019.से प्रदेश सरकार के ई–टेन्डर पोर्टल https://etender.up.nic.in के माध्यम से डाउनलोड की जा सकती हैं। निविदायें दिनांक 29.09.2019 को सायं 6:00 बजे तक अपलोड की जा सकती हैं तथा दिनांक 30.09.2019 को सायं 3:00 बजे गठित निविदा समिति के समक्ष ऑनलाइन खोली जायेंगी, जिसमें स्वयं निविदादाता अथवा उसका एक अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित रह सकता है।निविदा तकनीकी एवं वित्तीय दो प्रकार की बिड के आधार पर आमंत्रित की जा रही हैं। जिन निविदादाताओं की तकनीकी बिड सफल होगी उन्हीं की वित्तीय बिड खोली जायेगी। निविदा मूल्य व धरोहर राशि निगम के खाते में निविदा अपलोड होनें की तिथि तक ऑनलाइन स्थानान्तरित होना अनिवार्य है। किसी एक अथवा समस्त निविदाओं को निरस्त करनें का पूर्ण अधिकार प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0लघु उद्योग निगम के पास सुरक्षित होगा। निविदा का विस्तृत विवरण निगम की वेबसाइट Website: www.upsic.in पर भी उपलब्ध है।

प्रबन्ध निदेशक

प्रार्थना पत्र का प्रारूप
(फर्म/कम्पनी के लेटर पैड पर)

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक
उ0प्र0 लघु उधोग निगम लि0
110, औद्योगिक आस्थान, फजलगंज

कानपुर।

महोदय,

मै/हम आपके विज्ञापन दिनांक........................को समाचार पत्र (......................समाचार पत्र का नाम एवं ई– टेन्डरिंग सं ....) में प्रकाशित हुआ के क्रम में उ0प्र0 के समस्त जनपदों के लिये कोल समन्वयक के रूप में नियुक्ति हेतु अपना आवेदन पत्र प्रस्तुत कर रहा हूॅ/रहे है। आपके द्वारा निर्धारित निविदा पत्र की सभी शर्तो को मेरे/हमारे द्वारा अध्ययन कर लिया गया है एवं निविदा की सभी शर्ते/कोल इण्डिया की सभी शर्त मुझे/हमें मान्य है। निर्धारित निविदा पत्र ई– टेन्डर के माध्यम से 2 बिड सिस्टम पर आमन्त्रित किया गया है।

सलंग्नक– शपथ पत्र (नोटराइज्ड)

आवेदक का नाम ....
पद नाम ....
कम्पनी का नाम ....
पता ....

हस्ताक्षर व मोहर

शपथ पत्र का प्रारूप
(100/–रू0 के गैर न्यायिक स्टैम्प पेपर पर)

समक्ष
प्रबन्ध निदेशक,
उ0प्र0 लघु उधोग निगम लि0
110, औद्योगिक आस्थान,
फजलगंज,
कानपुर

शपथपत्र मिनजानिब में..............................पुत्र श्री..............................आयु.................स्थायी पता........ ....मेरे द्वारा दी गयी सूचनाओं का विवरण निम्न प्रकार है:–

1– यह कि मूल रूप से भारतीय निवासी हूँ और मेरा स्थायी पता और आयु ऊपर दिये गये विवरण के अनुसार है। इस शपथ पत्र में दिये गये तथ्यों से भली भॉति परिचित हूँ, कोई तथ्य असत्य एवं छिपाया नही गया है।

2– कि मै................................फर्म/कम्पनी में निदेशक/साझेदार /एक स्वामी हूँ और फर्म/कम्पनी का पंजीकृत कार्यालय का पता... ....और मुझे निविदा को हस्ताक्षर करने का अधिकार प्राप्त है।

3– उपर्युक्त फर्म/कम्पनी देश के विभिन्न राज्यों मे कोयले की हैण्डलिंग का कार्य करती है और इसकी उन सभी राज्यों में अच्छी प्रतिष्ठा है।

4– मै यह घोषणा करता हूँ कि...................................फर्म/कम्पनी, गत तीन वर्षो में किसी भी सरकारी/अर्द्ध सरकारी संस्था राज्य/राज्य इकाई गैर सरकारी संस्था अथवा कम्पनी द्वारा ब्लैक लिस्ट/डीवार घोषित नहीं किया गया है।

5– यह कि मै/हम अपनी अधिकतम जानकारी एवं विश्वास के साथ इस बात की घोषणा करता हूँ/करते है कि प्रेषित विवरण सही है यदि इसमें कोई विवरण गलत पाया जाता है तो मेरे/हमारे द्वारा जमा अर्नेस्ट मनी को जब्त करते हुये आवेदन पत्र को निरस्त कर दिया जाये और इसके लिये मुझे/हमे कोई आपत्ति नहीं होगी। कोई भी सूचना गलत होने पर सम्भावित कार्यवाही के लिये मै/हम पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगें।

शपथकर्ता
हस्ताक्षर एवं फर्म की सील व पूर्ण पता

<u>सत्यापन–</u>

मै उपरोक्त सत्यापित करता हूँ कि शपथ पत्र के पैरा 1 से 5 मेरी जानकारी व अभिलेखों के आधार पर सत्य व सही है। कोई भी तथ्य असत्य एवं छिपाया नही गया है।

यह सत्यापन आज दिनांक....................को हस्ताक्षरित कर सत्यापित किया गया।

शपथकर्ता

निविदा प्रपत्र

तकनीकी बिड

1– फर्म / कम्पनी का नाम : ....
पता :...
:..
फोन नं0 कार्यालयः..............................
निवास–..............................
फैक्स नं0 कार्यालय.......................टेलीफैक्स....................
ई–मेल :...

निविदा शुल्क रू0 25,000.00(जी0एस0टी0सहित) का आर0टी0जी0एस0 केवल ई– पेमेन्ट के माध्यम से उ0प्र0 लघु उधोग निगम लि0 के पक्ष में किया जायेगा। निगम का खाता 9180100 36349923 आई0एफ0एस0सी0 कोड UTIB0002197 बैंक का नाम एक्सिस बैंक लि0, शास्त्री नगर, कानपुर की डेविट एडवाईस का प्रमाण पत्र भी संलग्न करें।

2. अर्नेस्ट मनी का विवरण–

क– धनराशि रू0 50,00,000 (रू0 पचास लाख मात्र) का आर0टी0जी0एस0 केवल ई– पेमेन्ट के माध्यम से उ0प्र0 लघु उधोग निगम लि0 के पक्ष में किया जायेगा। निगम का खाता 918010036349923 आई0एफ0एस0सी0 कोड UTIB0002197 बैंक का नाम एक्सिस बैंक लि0, शास्त्री नगर, कानपुर की डेविट एडवाईस का प्रमाण पत्र भी संलग्न करें।

ख– आर0टी0जी0एस0 सं0.......................दिनांक.................

ग– बैंक का नाम :...

3– फर्म / कम्पनी रजिस्ट्रेशन नं0 :...................................
(सत्यापित छायाप्रति सहित)

4– जी0एस0टी0 पंजीयन नं0 ....
(सत्यापित छायाप्रति सहित)

5– पैन नं0 एवं तीन वर्षो (2015–16, 2016–17 एवं 2017–18) का आई0टी0आर0 प्रमाण पत्र (सत्यापित छायाप्रति सहित)

6– सांविधिक सम्प्रेक्षकों से सत्यापित पूर्व तीन वर्षो (2015–16, 2016–17 एवं 2017–18) की बैलेन्स शीट।

7– फर्म / कम्पनी को अपना रूपये पन्द्रह करोड की नेट वर्थ दिनांक 31.03.2018 का सांविधिक सम्प्रेक्षकों द्वारा सत्यापित प्रमाणपत्र । नेट वर्थ की गणना सम्बन्धी प्रपत्र भी संलग्न करें।

8– फर्म / कम्पनी के पूर्व तीन वर्षो (2015–16, 2016–17 एवं 2017–18) में प्रति वर्ष कम से कम रूपये 10 करोड एवं कुल रू0 50 करोड के टर्न ओवर का सांविधिक सम्प्रेक्षकों द्वारा सत्यापित प्रमाण पत्र।

9– पिछले तीन वित्तीय वर्षो (2015–16, 2016–17 एवं 2017–18) में कोल हैण्डलिंग का किसी भी राज्य/राज्य इकाई /केन्द्रीय सरकार की संस्था अथवा कम्पनीज एक्ट के अन्तर्गत पंजीकृत कम्पनी को कोल इण्डिया लि0 एवं उसकी सहायक सब्सिडीयरी आदि से आवन्टित कोयले के लिये समन्वयक के रूप में इकाईयों को कोयला लाकर उपलब्ध कराने का कम से कम 2,00,000 मै0टन अनुभव का प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। कोल इण्डिया द्वारा आवंटित कम्पनी को कोयले आंवटन का प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति तथा कम्पनी से आवेदक द्वारा ससमन्वयक कार्य (केवल रेल द्वारा) का प्रमाण पत्र मूल रूप में) उक्त के अतिरिक्त आवेदक द्वारा किये गये कार्य, अनुभव एवं आर्थिक सुद्ढता भी समन्वयक के चयन में निगम द्वारा विचारणीय होगी।

10– अन्य स्थानों पर फर्म/कम्पनी के कार्यालयों का पता व संस्था की मानव शक्ति संरचना व नक्शा।

संलग्नकों का विवरण–

क0सं0	संलग्नको का विवरण	संलग्नको का उल्लेख निविदादाता द्वारा	टिप्पणी
1	फर्म /कम्पनी का नाम, पता,फोन न0, फैक्स न0, ई–मेल		
2	अर्नेस्ट मनी के रूप में रू0 पचास लाख का आर0टी0जी0एस0 (बैक द्वारा जारी डेविट एडवाईस का प्रमाण पत्र)		
3	फर्म/कम्पनी रजिस्ट्रेशन नं0 (सत्यापित छायाप्रति सहित)		
4	जी0एस0टी0 पंजीयन प्रमाण पत्र (सत्यापित छायाप्रति सहित)		
5	पैन नं0 एवं तीन वर्षो (2015–16, 2016–17 एवं 2017–18) का आई0टी0आर0 प्रमाण पत्र (सत्यापित छायाप्रति सहित)		
6	सांविधिक सम्प्रेक्षकों से सत्यापित पूर्व तीन वर्षो (2015–16, 2016–17 एवं 2017–18) की बैलेन्स शीट।		
7	कम्पनी को अपना रूपये पन्द्रह करोड की नेट वर्थ दिनांक 31.03.2018 का सांविधिक सम्प्रेक्षकों द्वारा सत्यापित प्रमाणपत्र । नेट वर्थ की गणना सम्बन्धी प्रपत्र भी संलग्न करें।		
8	फर्म/कम्पनी के पूर्व तीन वर्षो (2015–16, 2016–17 एवं 2017–18) में प्रति वर्ष कम से कम रूपये 10 करोड एवं कुल रू0 50 करोड के टर्न ओवर का सांविधिक सम्प्रेक्षकों द्वारा सत्यापित प्रमाण पत्र।		
9	कोल समन्वयक को विगत तीन वर्षो (2015–16, 2016–17 एवं 2017–18) में कम से कम 2,00,000 मै0टन कोयले की हैण्डलिंग/समन्वयक कार्य का अनुभव प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है।		

10	अन्य स्थानों पर फर्म/कम्पनी के कार्यालयों का पता व संस्था की मानवशक्ति संरचना का नक्शा।		
11	फर्म अथवा कम्पनी की दशा में रजिस्ट्रेशन की सत्यापित छायाप्रति।		
12	अ) पार्टनरशिप का प्रमाण पत्र (पार्टनरशिप की दशा में पार्टनरशिप डीड व रजिस्ट्रार कार्यालय के प्रमाण पत्र की सत्यापित छायाप्रति। (ब) कम्पनी की दशा में कम्पनी का मेमोरेण्डम आफ एसोसिएशन और आर्टिकल आफ एसोसिएशन की सत्यापित प्रतियाँ)		
13	शपथ पत्र सौ रूपये के गैर न्यायिक स्टैम्प पेपर पर।		
14	निगम की शर्ते (स्वीकारोक्ति हेतु प्रत्येक पेज पर हस्ताक्षर कर संलग्न करें।)		
15	मूल प्रमाण पत्र भी निगम के अवलोकनार्थ होगें।		
16	कोई भी अन्य प्रपत्र जो आवेदक सत्यापन हेतु प्रस्तुत करना चाहे।		

संविदा की नियम व शर्ते–

1– निगम में अर्नेस्ट मनी के रूप में रू0 पचास लाख का आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से उ0प्र0 लघु उधोग निगम लि0 के पक्ष में देय होगी। निगम का खाता सं0 9180100 36349923 आई0एफ0एस0सी0 कोड UTIB0002197 बैंक का नाम एक्सिस बैंक लि0, शास्त्री नगर, कानपुर की डेबिट एडवाईस का प्रमाण पत्र भी संलग्न करना अनिवार्य होगा।

2– निगम में फर्म / कम्पनी को अपना जी0एस0टी0 पंजीयन प्रमाण पत्र (सत्यापित छायाप्रति सहित) अनिवार्य रूप से जमा करना होगा।

3– निगम में फर्म / कम्पनी को अपना पैन नं0 व तीन वर्षो (2015–16, 2016–17 एवं 2017–18) का आई0टी0आर0 प्रमाण पत्र (सत्यापित छायाप्रति सहित) अनिवार्य रूप से जमा करना होगा।

4– निगम में फर्म / कम्पनी को अपना सांविधिक सम्प्रेक्षकों द्वारा सत्यापित पूर्व तीन वर्षो (2015–16, 2016–17 एवं 2017–18) की बैलेन्स शीट अनिवार्य रूप से जमा करना होगा।

5– निगम में फर्म / कम्पनी को अपना रूपये पन्द्रह करोड की नेट वर्थ दिनांक 31.03. 2018 का सांविधिक सम्प्रेक्षकों द्वारा सत्यापित प्रमाणपत्र अनिवार्य रूप से जमा करना होगा।

6– कोल समन्वयक का रूपये 50 करोड टर्न ओवर वार्षिक तीन वर्ष (2015–16, 2016–17 एवं 2017–18) में प्रतिवर्ष न्यूनतम 10 करोड का सांविधिक सम्प्रेक्षकों द्वारा सत्यापित प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है।

7– पिछले तीन वित्तीय वर्षो में कोल हैण्डलिंग का किसी भी राज्य/राज्य इकाई /केन्द्रीय सरकार की संस्था अथवा कम्पनीज एक्ट के अन्तर्गत पंजीकृत कम्पनी को कोल इण्डिया लि0 एवं उसकी सहायक सब्सिडीयरी आदि से आवन्टित कोयले के लिये समन्वयक के रूप में इकाईयों को कोयला लाकर उपलब्ध कराने का कम से कम 2,00,000 मै0टन अनुभव का प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। (कोल इण्डिया द्वारा आवंटित कम्पनी को कोयले आंवटन का प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति तथा कम्पनी से आवेदक द्वारा ससमन्वयक कार्य (केवल रेल द्वारा) का प्रमाण पत्र मूल रूप में) उक्त के अतिरिक्त आवेदक द्वारा किये गये कार्य, अनुभव एवं आर्थिक सुद्‌ढता भी समन्वयक के चयन में निगम द्वारा विचारणीय होगी।

8– फर्म अथवा कम्पनी की दशा में रजिस्ट्रेशन की सत्यापित छायाप्रति।

9– अ) पार्टनरशिप का प्रमाण पत्र (पार्टनरशिप की दशा में पार्टनरशिप डीड व रजिस्ट्रार कार्यालय के प्रमाण पत्र की सत्यापित छायाप्रति।

(ब) कम्पनी की दशा में कम्पनी का मेमोरेण्डम आफ एसोसिएशन और आर्टिकल आफ एसोसिएशन की सत्यापित प्रतियॉ)।

10– निगम की शर्ते स्वीकारोक्ति हेतु प्रत्येक पेज पर हस्ताक्षर कर संलग्न करें।

11– कोल समन्वयक निगम (उ0प्र0 लघु उधोग निगम लि0) के माध्यम से मेसर्स कोल इण्डिया लि0/उद्योग निदेशालय से प्राप्त कोल आवंटन के विरूद्ध कोल रैकों के प्रोग्राम कोल इण्डिया लिमिटेड से एवं रैकों की व्यवस्था हेतु रेलवे विभाग से स्वीकृति प्राप्त करेगा तथा रेलवे से रैकों की व्यवस्था करेगा।

12– उ0प्र0 लघु उद्योग निगम लि0, कोल इंडिया लिमिटेड, के पक्ष में बैंक गारन्टी/लैटर आफ केडिट इत्यादि खुलवायेगा एवं इस पर होने वाली प्रारम्भिक धनराशि लगभग रू0 10.00 करोड (रू0 दस करोड मात्र) एवं इसके अतिरिक्त समय–समय पर आवश्यकतानुसार वांछित धनराशि की व्यवस्था चयनित समन्वयक तत्काल सुनिश्चित करेगा। साथ ही साथ उपरोक्त से सम्बन्धित समस्त व्यय जैसे मार्जिन, ब्याज, कमीशन इत्यादि जो भी आवश्यक होगी, का वहन भी चयनित समन्वयक द्वारा ही किया जायेगा। कोल इण्डिया को भेजे जाने वाली समस्त धनराशि जैसे कोयले का मूल्य आदि चयनित समन्वयक द्वारा अग्रिम रूप से उ0प्र0 लघु उद्योग निगम लि0, में जमा कराई जायेगी। जिससे उ0प्र0 लघु उद्योग निगम लि0, कोल इण्डिया को ससमय भुगतान कर सकें।

13– निविदा मे सफल चयनित समन्वयक को कोल इण्डिया लिमिटेड में अग्रिम जमा लगभग रू0 10.00 करोड की धनराशि और उपरोक्त बैंक गारन्टी की धनराशि इत्यादि कोल इण्डिया लिमिटेड के ईधन आपूर्ति संविदा (एफ0एस0ए0) में निर्धारित नियम व शर्तो के अनुसार उ0प्र0 लघु उद्योग निगम लि0, में, मांग को 15 दिन के भीतर जमा करानी होगी अर्थात निगम की कोई भी धनराशि उक्त व्यापार के मद में नहीं लगेगी।

14– उपरोक्त के अतिरिक्त कोल व्यवसाय के सम्पादन (हैण्डलिंग) के सम्बन्ध में वांछित समस्त धनराशि चयनित समन्वयक द्वारा लाभान्वित होने वाली एम0एस0एम0ई0इकाईयॉ के माध्यम से ससमय निगम मे जमा की जायेगी।

15– अस्तु चयनित समन्वयक कोल इण्डिया लिमिटेड से सहमति पत्र लेकर रेलवे में रेकों के प्रोग्राम हेतु सहमति पत्र एवं अन्य पत्र प्रस्तुत करेगा। रैंक आवंटित होने के उपरान्त चयनित समन्वयक अच्छी क्वालिटी (गुणवत्ता) का कोयला लोड कराना सुनिश्चित करेगा। जिसका पूर्ण दायित्व चयनित समन्वयक का होगा। यदि कोयला खराब लोड होने की संभावना होगी तो चयनित समन्वयक रैंको को निरस्त कराने की कार्यवाही उ0प्र0 लघु उद्योग निगम लि0, की ओर से सम्पादित करायेगा। कोयले का उठान आर0आर0 वजन पर ही मान्य होगा। उ0प्र0 लघु उद्योग निगम लि0 उपरोक्त कार्य में चयनित समन्वयक का सहयोग करेगा। लेकिन इसका सम्पूर्ण दायित्व चयनित समन्वयक का होगा। नैसर्गिक परिस्थिति के विपरीत खराब गुणवत्ता की स्थिति में चयनित समन्वयक कोई भी क्लेम उ0प्र0 लघु उद्योग निगम लि0 से नही कर सकेगा।

16– कोयले की गुणवत्ता कमी आदि की जिम्मेदारी भी पूर्णतया चयनित समन्वयक की होगी। इस हेतु रेलवे क्लेम आदि चयनित समन्वयक उ0प्र0 लघु उद्योग निगम लि0 के

माध्यम से दायर करेगें। उ0प्र0 लघु उद्योग निगम लि0 द्वारा चयनित समन्वयक को रेलवे में उ0प्र0 लघु उद्योग निगम लि0 की ओर से क्लेम दायर किये जाने हेतु अधिकृत करेगा।

17– अस्तु यदि किन्हीं परिस्थितियो में रैक का सम्पूर्ण उठान रेलवे साईडिंग से सम्भव नही हो पाता है तो, चयनित समन्वयक द्वारा रेलवे से अनलोडिंग तथा भण्डारण की व्यवस्था की जायेगी, कोल साइडिंग से भण्डारण तक आने वाले समस्त व्यय समन्वयक द्वारा वहन किया जायेगा। इससे सम्बन्धित प्रपत्र/रसीद चयनित समन्वयक द्वारा उ0प्र0 लघु उद्योग निगम लि0 को ससमय उपलब्ध कराये जायेगें।

18– राज्य सरकार के शासनादेश में पात्र, इकाईयों द्वारा यदि ससमय उठान न होने की दशा में जो वारफेज और डैमरेज रेलवे द्वारा लिया जायेगा, उसके प्रपत्र/रसीद चयनित समन्वयक द्वारा उ0प्र0 लघु उद्योग निगम लि0 को ससमय उपलब्ध करायेगें।

19– माल का इन्श्योरेन्स व सुरक्षा की व्यवस्था भी चयनित समन्वयक द्वारा निगम के पक्ष मे की जायेगी। इस पर होने वाले समस्त व्यय का विवरण चयनित समन्वयक निगम को उपलब्ध करायेगा। भण्डारण निर्धारित किराया/शुल्क, लोडिंग, अनलोडिंग, सुरक्षा व्यवस्था शुल्क आदि उ0प्र0 लघु उद्योग निगम लि0 द्वारा वास्तविक आधार पर नियमानुसार रैकवार कास्टिंग में जोडा जायेगा।

20– कोयला भण्डारण की दशा में कोयला रेलवे साईडिंग से भण्डार तक की व्यवस्था चयनित समन्वयक करेगा और भण्डारण तक ट्रांसपोर्टर की समस्त औपचारिकतायें पूर्ण कराते हुये व्यवस्था करेगा। ट्रान्सपोर्टरो की नियुक्ति करते समय चयनित समन्वयक राज्य/प्रदेश के ट्रांसपोर्टर से बिल निगम में उपलब्ध करायेगा, जिसके ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था चयनित समन्वयक द्वारा की जायेगी। जिसका बिल चयनित समन्वयक द्वारा उ0प्र0 लघु उद्योग निगम लि0 को उपलब्ध कराया जायेगा।

21– चयनित कोल समन्वयक कोयले का अग्रिम भुगतान करके निगम को कोल बिल उपलब्ध कराते हुये आर0आर0/आई0 बांड (रेलवे रसीद/आईडेन्टि बॉन्ड) आदि प्राप्त करेगा। जी0एस0टी0 के मद में जी0एस0टी0 कार्यालय द्वारा समय–समय पर निर्धारित धनराशि नियमानुसार औपचारिकतायें पूर्ण कराते हुये अग्रिम रुप से किया जायेगा। कास्टिंग से सम्बन्धित प्रपत्र प्राप्त करने हेतु अग्रिम रूप से निगम में चयनित समन्वयक द्वारा उ0प्र0 लघु उद्योग लि0 कानपुर के कार्यालय में जमा करायी जायेगी।

22– चयनित कोल समन्वयक कोयले का वास्तविक मूल्य जिसका भुगतान कोल इंडिया लिमिटेड को किया गया है, वास्तविक रेल भाडा, सडक परिवहन भाडा वास्तविक, जी0एस0टी0 एंव अनुमन्य लाभांश व अन्य व्यय निर्धारित नीति के अनुसार वास्तविक आधार पर रैकवार विक्रय दर निर्धारित करते समय लिया जाना निर्दिष्ट है । उस समस्त धनराशि की रसीद सहित लेखा तथा मूल प्रपत्र निगम को उपलब्ध कराने का दायित्व भण्डार प्रबन्धक/समन्वयक का होगा। उपरोक्त समन्वयक लेखा बनाने में निगम को सहयोग करेगा।

23– चयनित समन्वयक रू0 1.00 करोड(रू0 एक करोड मात्र) की सुरक्षा धनराशि निगम के पास जमा करेगा। यह धनराशि नियुक्ति होने की तिथि से 15 दिन के अन्दर अनिवार्य रूप से निगम के खाते में जमा करानी होगी, जिस पर किसी प्रकार का ब्याज

देय नही होगा। समय के अन्दर सुरक्षा धनराशि जमा न करने पर यह समझा जायेगा कि चयनित समन्वयक कार्य करने का इच्छुक नही है। अस्तु चयनित कोल समन्वयक की नियुक्ति स्वतः ही निरस्त समझी जायेगी तथा निविदा में जमा की गई धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी।

24– चयनित कोल समन्वयक निर्धारित अवधि में अपरिहार्य परिस्थिति व नैसर्गिक व्यवधान को छोडकर राज्य की कोयले की मांग होने पर भी आवंटन के विरूद्ध माल उपलब्ध न कराने की स्थिति में पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा तथा निगम को लम्बित एनेक्जर/आवंटन के विरूद्ध प्राप्त होने वाले लाभांश का भुगतान चयनित समन्वयक को करना होगा, अन्यथा उक्त धनराशि उनकी सुरक्षा राशि से काट लिया जायेगा।

25– शासनादेश/विभिन्न अनुमोदित प्रक्रिया के आधार पर भण्डार प्रबन्धक द्वारा निर्गत डिलीवरी आर्डर के विरूद्ध निगम के भण्डार स्टॉफ कोयले की डिलीवरी चालान/बिल आदि भी भण्डार प्रबन्धक द्वारा जारी किया जायेगा।

26– भण्डार प्रबन्धक टैक्स इन्वाईस इकाईयों के पक्ष मे उ0प्र0 लघु उद्योग निगम लि0 कानपुर द्वारा कोयले की कीमत एवं प्रचलित जी0एस0टी0 सहित प्रबन्ध निदेशक द्वारा अनुमोदित रैक वाइस दरों के आधार पर निर्गत करेगा।

27– कोल इण्डिया लिमिटेड से आंवटन प्राप्त करने हेतु अनुमन्य धनराशि चयनित समन्वयक द्वारा अग्रिम रूप से माहवार निगम में जमा कराई जायेगी। जिससे निगम ईधन आपूर्ति संविदा (एफ0एस0ए0)के अन्तर्गत कोयले का आवंटन प्राप्त कर सके।

28– चयनित समन्वयक निर्धारित अवधि में अपरिहार्य परिस्थिति व नैसर्गिक व्यवधान जैसे कोल इण्डिया से कोयला प्राप्त न होना, रेलवे से आवंटन न होना, राज्य में कोयले की मांग का न होना या अन्य अपरिहार्य परिस्थितियों आदि को छोडकर जिसका निर्णय प्रबन्ध निदेशक द्वारा किया जायेगा को आवंटन के विरूद्ध निर्धारित लक्ष्य का कम से कम 90 प्रतिशत माल उठाना होगा। यदि किसी परिस्थिति में चयनित समन्वयक उक्त मात्रा से कम माल उठाता है तो भी निर्धारित लक्ष्य का लाभांश निगम में अग्रिम जमा कराना होगा। अन्यथा अवशेष लाभांश सुरक्षा धनराशि से समायोजित कर ली जायेगी।

29– चयनित समन्वयक द्वारा अवशेष लाभांश, दुरूपयोग, कमी, आदि से सम्बन्धित अवशेष भुगतान को समय से न देने पर निगम को यह अधिकार होगा कि वह अवशेष का सुरक्षा धनराशि से एवं एरियर आफ लैण्ड रेवेन्यू अंडर यू0पी0 मनी रिकवरी आफ डयूज एक्ट 1972 (समय–समय पर संशोधित) के तहत प्रचलित ब्याज सहित वसूल कर सकेगा।

30– आयकर/ जी0एस0टी0 और कोई भी अन्य देय/लागू कर, निर्धारित मूल्य के आधार पर चयनित समन्वयक के खातो में माहवार काट लिये जायेगें जो भी नियमानुसार आयकर/ जी0एस0टी0 अधिनियम के अन्तर्गत लागू होगें और उसके अनुसार जो भी कर कटौती का प्रमाण पत्र होगा, वह प्रमाण पत्र बनाकर चयनित समन्वयक को निगम की ओर से दे दिया जायेगा।

31– निगम द्वारा चयनित समन्वयक की कार्य क्षमता एवं निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति का त्रैमासिक मूल्यांकन/समीक्षा की जायेगी जिस पर सन्तुष्ट न होने की स्थिति में निगम

को चयनित समन्वयक का अनुबन्ध निरस्त करने का अधिकार प्रबन्ध निदेशक में निहित होगा। वित्तीय वर्ष के आधार पर भी चयनित समन्वयक के कार्यो की समीक्षा की जायेगी।

32– यह संविदा प्रारम्भिक तौर पर आगामी तीन वर्षो के लिये वैध होगी । उपरोक्त संविदा को निगम हित एवं व्यवसाय हित एवं बिन्दु सं0 21 मे वर्णित समीक्षा के आधार पर प्रारम्भिक तीन वर्षो के आगे भी दोनो पक्षो की आम सहमति से 2 वर्ष हेतु बढाया जा सकेगा। यदि निगम कभी भी राज्य की नोडल एजेन्सी नही रहता है एवं कोल इंण्डिया से ईधन आपूर्ति अनुबन्ध हस्ताक्षरित नही होता तो यह अनुबन्ध चयनित समन्वयक के साथ स्वतः ही समाप्त हो जायेगा, परन्तु नियुक्ति निरस्तीकरण एंव निर्धारित अवधि की समाप्ति के उपरान्त भी अनुबन्ध अवधि में वृहद व्यापार के पूर्ण लेखा लेनदेन तक लागू रहेगा।

33– संलग्न वित्तीय प्रपत्र (फाइनेन्शियल बिड) में प्राप्त की गई मूल दरों, जो निगम द्वारा अन्तिम रूप से स्वीकार की जाती है पर ही लाभांश समन्वयक को अनुमन्य होगा।

34– प्राप्त कोयले का इकाईयों में वितरण/आवन्टन की सम्पूर्ण किया/प्रकिया निगम के भण्डार प्रबन्धक तथा निगम के तत्सम्बन्धित तैनात स्टॉफ द्वारा सम्पादित की जायेगी। नियुक्त समन्वयक की किसी भी दशा में किसी भी प्रकार इकाईयों के मध्य कोयले के वितरण/आवंन्टन का अधिकार न होगा और न ही नियुक्त समन्वयक कोयले आवंन्टन/वितरण की प्रकिया में शामिल होगा।

35– संविदा की विभिन्न शर्तो को आवश्यकतानुसार दोनो पक्षों की आम सहमति पर समय समय पर संशोधित किया जा सकेगा।

36– ई निविदा में उन्हीं ई निविदाताओं की फाइनेन्शियल बिड पार्ट–2 खोली जायेगी जो टेक्निकल बिड पार्ट–1 में निर्धारित नियम एवं शर्तो को पूर्ण करेगें, जिस पर प्रबन्ध निदेशक का निर्णय अंतिम एवं दोनो पक्षों को बाध्यकारी होगा।

37– यदि एक से अधिक निविदादाताओं में वित्तीय प्रस्ताव समान आते है तो निविदादाताओं के कार्य अनुभव के आधार पर समन्वयक के चयन मे वरीयता प्रदान की जायेगी। समान कार्य अनुभव होने की दशा में आर्थिक सुदृढता के आधार पर समन्वयक को चयनित किया जायेगा।

38– चयनित समन्वयक द्वारा कोयले से सम्बन्धित अथवा कोई भी विवाद केवल कानपुर न्यायालय (ज्यूरिडिक्शन) मे किये जायेगें परन्तु न्यायालय मे कोई वाद दायर करने से पूर्व दोनो पक्ष आर्बिट्रेशन एक्ट के तहत आर्बिट्रेटर स्वीकार करते हुये विवाद का समझौता करायेगें।

उपरोक्त सभी शर्ते अद्योहस्ताक्षरी को मान्य है।

आवेदक का नाम ....
पद नाम ....
कम्पनी का नाम ....
पता ....

हस्ताक्षर व मोहर

फाईनेशियल बिड–पार्ट –2

<u>फाईनेन्शियल बिड</u>

आवेदन पत्र

1– नवीन कोल नीति –2007 तथा ईधन आपूर्ति संविदा के प्राविधानुसार निगम को कोल इण्डिया द्वारा समय समय पर निर्धारित बेसिक कोल दर पर 5 प्रतिशत लाभांश अनुमन्य है। आवेदक द्वारा अपनी सेवाओं को निगम की नियम व शर्तो की प्रतिपूर्ति करने हेतु 5 प्रतिशत निगम को अनुमन्य लाभांश में से ....प्रतिशत (शब्दों में...) की दर से (प्रतिशत 2 डेसीमल तक काउन्ट होगें) कोआर्डिनेशन चार्जेस प्रतिफल के रूप में लेना स्वीकार्य है।

2– उक्त के अतिरिक्त आवेदक द्वारा कार्य अनुभव एवं आर्थिक सुदृढता भी समन्वयक के चयन में निगम द्वारा विचारणीय होगी।

3– उक्त के अतिरिक्त आवेदक द्वारा यदि उ0प्र0 लघु उद्योग निगम लि0 के कुल लाभांश में से 20 प्रतिशत से कम धनराशि अंकित की जाती है तो वह टैन्डर विचारणीय नही होगा।

आवेदक का नाम ....

पद नाम ....

कम्पनी का नाम ....

पता ....

हस्ताक्षर व मोहर

FINENCIAL BID

NAME OF WORK : APPOINTMENT OF COAL CORDINATOR IN UPSIC

S. No.	Description	Rate	Amount
1	As per the new coal policy-2007 and coal supply contract, the corporation is allowed 5 percent profit on the basic coal rate fixed by Coal India from time to time. In order to reimburse the corporation's terms and conditions to it's services by the applicant, 5 percent of the corporation's allowable benefits. The tenderer can quote their rates in rate column in the term of % of UPSIC service charges. The percentage will be counted up to 2 decimals.		
	Coordination Charges (% of UPSIC Charges ie 5%)		

Scanned by CamScanner